

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

### साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या - 05/2015 के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधीन बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17.11.2017 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आवश्यक सूचना के विरुद्ध उम्मीदवारों द्वारा प्रेषित आपत्ति अभ्यावेदनों/संलग्न कागजातों के आधार पर औपबधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:-

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
सोमवार 11.06.2018	500126, 500127, 500208, 500234, 500261, 500320, 500385, 500408, 500433, 500475, 500590, 500643, 500657, 500659	500726, 500729, 500742, 500809, 500864, 501003, 501042, 501072, 501138, 501217, 501238, 501246, 501352, 501404
मंगलवार 12.06.2018	501417, 501547, 501654, 501741, 501744, 501761, 501764, 501825, 501847, 501881, 501883, 501933, 501949, 502004	502024, 502064, 502107, 502176, 502195, 502205, 502228, 502371, 502386, 502407, 502488, 502577, 502587, 502600
बुधवार 13.06.2018	502615, 502689, 502706, 502738, 502754, 502766, 502797, 502920, 502950, 503092, 503140, 503147, 503191, 503226	503270, 503310, 503313, 503360, 503407, 503486, 503549, 503553, 503581, 503635, 503679, 503786, 503823, 503845
गुरुवार 14.06.2018	503868, 503963, 504007, 504096, 504105, 504112, 504140, 504244, 504255, 504321, 504520, 504608, 504640, 504721	504728, 504783, 504844, 505017, 505036, 505153, 505211, 505257, 505258, 505333, 505343, 505363, 505380

उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों को पूर्णतः औपबधिक रूप से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।

- उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से ही आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र-II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
- शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी निम्नलिखित परीक्षाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि (डिग्री आदि का), अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र, तथा जन्म तिथि का साक्ष्य (Proof of Date of Birth) आदि सभी प्रमाण पत्र मूल में तथा उनकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ साथ में अवश्य लेते आयें :-
  - जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
  - बी.डी.एस. के सभी सत्रों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल अंक पत्र।  
नोट:- अनुत्तीर्णता की स्थिति में अभ्यर्थी जिस सत्र/वर्ष में अनुत्तीर्ण हुए हैं। उस सत्र/वर्ष का अनुत्तीर्ण अंक पत्र भी लाना अनिवार्य है।
  - बी.डी.एस. उत्तीर्णता से सम्बन्धित Attempt Certificate जो कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो।  
नोट:- उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
  - बी.डी.एस. उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
  - बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल Act 1916 अथवा Dentist Act, 1948 में निहित प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकार से निबंधित होना चाहिए (निबंधन प्रमाण पत्र)।
  - बिहार राज्य सरकार के अधीन सरकारी अस्पतालों में अनुबंध/टेन्योर के आधार पर कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
  - स्नातकोत्तर (MDS) की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
  - कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत Attempt Certificate की छायाप्रति।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति;
- योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा - मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

18.5.18